

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 1977/माघ 21, 1898

No. 50] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 1977/MAGHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February 1977

G. S. R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1955, namely:—

1 (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre strength) Fifth Amendment Regulations, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre strength) Regulations, 1955, for the heading "Rajasthan" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely:—

(i) in entry 5, for the figure '24', the figure '28' shall be substituted,

(ii) for the figures '161' and '194' occurring at the end, the figures '165' and '199' shall be substituted; and

(iii) in the foot-note, for the figure '4', the figure '8' shall be substituted.

[No. 11031/4/77-AIS(II)]

V. R. SRINIVASAN,
Desk Officer

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 73 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वगं) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तु और उप-नियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वगं) सख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे मशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वगं) सख्या का नियतन) पाचवा संशोधन विनियम, 1977 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वगं) सख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "राजस्थान" शीर्षक के अधीन —

(i) प्रविष्टि 5 में अंक '24' के स्थान पर '28' प्रतिस्थापित किए जाएं।

(ii) अंत में आने वाले '161' तथा '194' अंकों के स्थान पर क्रमशः '165' तथा '199' अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

(iii) पाद टिप्पणी में अंक '4' के स्थान पर अंक '8' प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं० 11031/4/77-अ० भा० से० (II)]

वी० आर० श्रीनिवासन,

डैस्क अधिकारी।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977